मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. माया पुत्री शंकर लाल कुमावत आयु 14 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती शांता देवी उर्फ शांती पत्नी श्री शंकर लाल कुमावत आयु वयस्क निवासी कारोई कलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. निकिता पुत्रीशंकर लाल कुमावत आयु 10 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती शांता देवी उर्फ शांती पत्नी श्री शंकर लाल कुमावत आयु वयस्क निवासी कारोई कलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. नारायण लाल पुत्र शंकर लाल कुमावत आयु 07 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती शांता देवी उर्फ शांती पत्नी श्री शंकर लाल कुमावत आयु वयस्क निवासी कारोई कलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. शंकर लाल पुत्र तिलोक कुमावत आयु वयस्क निवासी कारोई कलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. गेखी पत्नी तिलोक कुमावत आयु वयस्क निवासी कारोई कलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज0)
4. उपपंजीयक पंजीयन कार्यालय कारोई तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89 एंव 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 33/2020 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री शोभागमल कुमावत उपस्थित नहीं – इस वाद में आज तारीख 03.02.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिकी दी जाती है–

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा

33/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज माया V/s शंकर वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/12/24	पत्रावली पेश हुई। वादी आधि० उप० प्रकरण साक्ष्यवादी हेतु दिनांक 24/12/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
24/12/24	पत्रावली पेश हुई। वादी अधि० उप० प्रकरण साबिक आदेश में 23/1/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
23/1/25	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 3/2/25 को पेश हो। आदेश से रीडर	
3/2/25	पत्रावली पेश हुई। वादीगण एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। वादीगण एवं वादी अधिवक्ता को नियमानुसार तीन बार आवाजें लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। समय 5.50 pm हो चुका है, वादीगण एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये हैं। वादीगण एवं वादी अधिवक्ता को न्यायालय में पुनः एक बार आवाज लगवाई गई, परन्तु वादीगण एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधि. को अदम हाजरी। अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) 3/2/25	